



उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-1411/2026/1175/22-02-2026-17(680)/2026
लखनऊ: दिनांक: 09 अक्टूबर, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार एटा में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी राजकुमार उर्फ पिन्टू (बन्दी सं0-242/2024) पुत्र श्री रामबाबू, नगला पोता, थाना-कोतवाली नगर, जनपद-एटा का निवासी है, जिसे एस0टी0नं0-138/2017 व 496/2003 मे धारा-394, 412 आई०पी०सी० व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०), एटा के दण्डादेश दिनांक 12.11.2024 द्वारा 05 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी के ऊपर अन्य वाद (1)-मु०अ०सं०-130/2003 में धारा-457, 380 आईपीसी। (2)-मु०अ०सं०-294/2003 में धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत है। बन्दी द्वारा दिनांक 05.09.2025 तक अपरिहार 02 वर्ष, 10 माह, 27 दिन तथा 03 वर्ष, 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरुद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट एटा के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1411/2026/1175(1)/22-2-2026 एवं तद्दिनांक ।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ०प्र०।
 - 2- जिला मजिस्ट्रेट, एटा।
 - 3- पुलिस अधीक्षक, एटा।
 - 4- अधीक्षक, जिला कारागार एटा।
 - 5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
 - 6- निजी सचिव, मा० मंत्री/मा० राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा० मंत्री जी के सूचनार्थ।
 - 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।